[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं0 15/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2017
10 आषाढ़, 1939 शक

सा.का.नि.______(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

(i) नियम 44 में,--

(क) उपनियम (2) में "एकीकृत कर और केन्द्रीय कर" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के हिन्दी पाठ में संशोंधन की आवश्यकता नहीं है ;

(ग) उपनियम (6) में, "आई.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी.", शब्दों स्थान पर "केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) नियम 96 में,--

(क) उपनियम (1) के खंड (ख) और उपनियम (3) में, "प्ररूप जीएसटीआर 3", शब्दों और अंकों के स्थान पर "यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3 या प्ररूप जीएसटीआर-3ख;" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 96 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**96क. बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय**—(1) एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के विकल्प का उपभोग करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, निर्यात से पहले, अधिकारिता आयुक्त को,--

(क) यदि माल का भारत के बाहर निर्यात नहीं किया जाता है तो निर्यात के लिए बीजक जारी करने की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अवधि के भीतर ; या

(ख) यदि निर्यातकर्ता को यदि ऐसी सेवाओं का भुगतान संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है तो एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए,

धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज के साथ देय कर का संदाय करने के लिए स्वयं को बाध्यकर बनाने हेतु **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11** में बंधपत्र या परिवचन पत्र देगा ।

(2) सामान्य पोर्टल पर दिए गए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में अंतर्विष्ट निर्यात बीजकों के ब्यौरे इलैक्ट्रोनिक रूप से सीमा शुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम को पारेषित किए जाएंगे और यह संपुष्टि कि उक्त बीजकों के अंतर्गत आने वाला माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है, इलैक्ट्रोनिक रूप से, उक्त सिस्टम से सामान्य पोर्टल को पारेषित की जाएगी ।

(3) जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर माल का निर्यात नहीं किया जाता है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उप नियम में उल्लिखित रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को तुरंत वापस ले लिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, धारा 79 के उपबंध के अनुसार उक्त रकम की वसूली की जाएगी ।

(4) उप नियम (3) के निबंधनानुसार वापस लिए गए बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय रकम का संदाय करते ही तुरंत पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ।

(5) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन किसी बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र दिया जा सकेगा ।

(6) उपनियम (1) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित किसी विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना शून्य दर पर माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में लागू होंगे ।"

(iii) नियम 117 में, उपनियम (1) में "पृथक् रूप से" शब्दों के पश्चात् "धारा 140 के स्पष्टीकरण 2 में यथा परिभाषित उपयुक्त शुल्क और करों के" शब्द और अंक अंतःस्थापित जाएंगे;

(iv) नियम 119 की शीर्षक में "अभिकर्ता" शब्द के स्थान पर "छुट-पुट कार्य करने वाले कर्मकार" शब्द रखे जाएंगे ।

(v) नियम 138 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"अध्याय 17

निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण

139. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण -- (1) जहां किसी उचित अधिकारी, जो संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 67 के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण के प्रयोजनों के लिए कारबार के स्थान या किसी अन्य स्थान का दौरा किया जाना है, वहां वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण किए जाने योग्य माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने के लिए **प्ररूप जीएसटी आईएनएस-01** प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा ।

(2) जहां कोई माल या दस्तावेज या पुस्तकें या वस्तुएं धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किए जाने योग्य हैं वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप **जीएसटी आईएनएसए-02** में अभिग्रहण का आदेश करेगा ।

(3) उचित अधिकारी य़ा प्राधिकृत अधिकारी माल के ऐसे स्वामी या अभिरक्षक को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसासे माल या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है, माल की सुरक्षित देखरेख करने के लिए ऐसे माल या वस्तुओं की अभिरक्षा सौंप सकेगा और उक्त व्यक्ति, ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय ऐसे माल या वस्तुओं या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई कार्रवाई करेगा ।

(4) जहां ऐसे किसी माल को अभिगृहीत करना व्यवहार्य नहीं है वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, माल के स्वामी या अभिरक्षक पर **प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03** में ऐसे प्रतिषेध आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई उस पर कोई कार्रवाई करेगा ।

(5) माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, ऐसे माल या दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं का विवरण, परिमाण या इकाई, बनावट, चिन्ह या माडल, जहां कहीं लागू हो, के साथ-साथ उनकी एक सूची तैयार करेगा और उस पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा जिससे ऐसा माल या दस्तावेज या पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है ।

140. अभिगृहीत माल के निर्मोचन के लिए बंधपत्र और प्रतिभूति -- (1) अभिगृहीत माल को, **प्ररूप जीएसटी आईएनएस-04** में माल के मूल्य के लिए एक बंधपत्र का निष्पादन करके और संदेय लागू कर, ब्याज और शास्ति की रकम के बराबर की बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति देकर अनंतिम आधार पर निर्मोचित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए "लागू कर" के अंतर्गत, माल और सेवाएं (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) के अधीन संदेय, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर तथा उपकर, यदि कोई हो, भी है ।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसको अनंतिम रूप से माल का निर्मोचन किया गया था, उचित अधिकारी द्वारा यथा उपदर्शित नियत तारीख और स्थान पर माल प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे माल के संबंध में प्रतिभूति नकद में ली जाएगी और उसे संदेय कर, ब्याज और शास्ति तथा जुर्माने, यदि कोई हों, के प्रति समायोजित किया जाएगा ।

141. अभिगृहीत माल के संबंध में प्रक्रिया -- (1) जहां अभिगृहीत माल या वस्तुएं विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की है और यदि कराधेय व्यक्ति, ऐसे माल या वस्तुओं की बाजार कीमत के बराबर रकम का या ऐसे कर, ब्याज और शास्ति की रकम का, जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय है या हो गई है, के बराबर, इनमें से जो भी निम्नतर हो, संदाय कर देता है वहां, यथास्थिति, ऐसे माल या वस्तुओं को, संदाय के सबूत के आधार पर **प्ररूप जीएसटी आई एनएस-05** में आदेश द्वारा तुरंत निर्मोचित कर दिया जाएगा ।

(2) जहां कराधेय व्यक्ति उक्त माल या वस्तुओं के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां आयुक्त ऐसे माल या वस्तुओं का व्ययन कर सकेगा और उसके द्वारा वसूल की गई रकम को ऐसे माल या वस्तुओं के संबंध में संदेय कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य रकम के प्रति समायोजित कर सकेगा ।

अध्याय 18

मांग और वसूली

142. अधिनियम के अधीन संदेय रकम की मांग के लिए सूचना और आदेश -- (1) उचित अधिकारी,--

(क) धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन सूचना, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01** में, या

(ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन कथन, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-02** में,

उसमें संदेय रकम के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा ।

(2) जहां सूचना या कथन की तामील से पहले कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (5) के अनुसार कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है, वहां वह उचित अधिकारी को, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04** में उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय को स्वीकार करते हुए एक अभिस्वीकृति जारी करेगा ।

(3) जहां, कर से प्रभार्य व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन सूचना की तामील होने के तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन कर, ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है वहां वह उचित अधिकारी को, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करते हुए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05** में आदेश जारी करेगा ।

(4) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यवेदन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-06** में होगा ।

(5) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (9) या धारा (76) की उपधारा (3) के अधीन जारी संक्षिप्त विवरण को इलैक्ट्रोनिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07** में, उसमें कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए अपलोड किया जाएगा ।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश को वसूली की सूचना के रूप में माना जाएगा ।

(7) उचित अधिकारी द्वारा, धारा 161 के उपबंधों के अनुसार परिशुद्धि का आदेश **प्ररूप जीएसटीडीआरसी-08** में दिया जाएगा ।

143. किसी ऋणग्रस्त रकम से कटौती द्वारा वसूली -- जहां अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किन्हीं उपबंधों के अधीन सरकार के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा (जिसे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों में "व्यतिक्रमी" कहा गया है) संदेय की रकम संदत्त नहीं की जाती है, वहां उचित अधिकारी, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-09** में विनिर्दिष्ट अधिकारी से, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यतिक्रमी के प्रति किसी ऋणग्रस्त रकम से उक्त रकम की कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के नियमों के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के पूर्ण या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कंपनी का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ।

144. उचित अधिकारी के नियंत्रणाधीन माल के विक्रय द्वारा वसूली -- (1) जहां किसी व्यतिक्रमी से शोध्य कोई रकम, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के माल के विक्रय द्वारा वसूल की जानी है वहां उचित अधिकारी, ऐसे माल की सूची तैयार करेगा और उसके बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा और केवल उतने माल के विक्रय के लिए कार्यवाही करेगा जितना वसूली प्रक्रिया पर उपगत प्रशासनिक व्यय के साथ संदेय रकम की वसूली के लिए अपेक्षित हैं ।

(2) उक्त माल का, नीलामी, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, की प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जिसके लिए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10** में विक्रय किए जाने वाले माल को और नीलामी के प्रयोजन को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी ।

(3) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन से पूर्व की नहीं होगी ।

परन्तु जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसकी कीमत से अधिक होने की संभवना है, वहां उचित अधिकारी उसका तुरंत विक्रय कर सकेगा ।

(4) उचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो उसे समपहृत किया जा सकेगा ।

(5) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी 11** में नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उससे संदाय करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा । बोली की पूरी रकम के संदाय पर उचित अधिकारी उक्त माल का कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा तथा **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12** में प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(6) जहां व्यतिक्रमी उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, वसूली के अधीन रकम का, जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी है संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया रद्द करेगा और माल निर्मोचित कर देगा ।

(7) जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों की कारण से गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया रद्द करेगा और पुनः- नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा ।

145. किसी तृतीय व्यक्ति से वसूली -- (1) उचित अधिकारी, धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति पर, (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् "तृतीय व्यक्ति" कहा गया है) प्ररूप **जीएसटी डीआरसी 13** में, उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम जमा कराने का निदेश देते हुए, सूचना की तामील कर सकेगा ।

(2) जहां तृतीय व्यक्ति, उपनियम (1) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी तृतीय व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 14 में ऐसे उन्मोचित दायित्व के ब्यौरे स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

146. किसी डिक्री, आदि, के निष्पादन के माध्यम से वसूली -- जहां किसी रकम का किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में व्यतिक्रमी को संदेय है या किसी बंधक या भार के प्रवर्तन में विक्रय के लिए है वहां उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी डीआरसी 15** में उक्त न्यायालय

को अनुरोध करेगा और न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अध्यधीन, संलग्न डिक्री का निष्पादन करेगा और वसूलीय रकम के परिनिर्धारण के लिए शुद्ध आगमों को जमा करेगा ।

147. जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय द्वारा वसूली -- (1) उचित अधिकारी, व्यतिक्रमी की जंगम और स्थावर सम्पत्ति की एक सूची तैयार करेगा, प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार उसकी कीमत का प्राक्कलन करेगा और कुर्की या करस्थम् का आदेश जारी करेगा तथा **प्ररूप जीएसटी डीआरसी 16** में, ऐसी स्थावर और जंगम संपत्ति जो देय रकम की वसूली के लिए अपेक्षित है, के संबंध में किसी संव्यवहार को प्रतिषिद्ध करते हुए विक्रय के लिए सूचना जारी करेगा :

परन्तु कोई ऋण जो पराक्रम्य लिखत द्वारा, किसी निगम में कोई अंश या अन्य जंगम संपत्ति द्वारा प्रतिभूत नहीं है, में किसी संपत्ति की कुर्की जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, किसी न्यायालय में निक्षेपित या अभिरक्षा में संपत्ति से भिन्नि, नियम 151 में उपबंधित रीति से कुर्क की जाएगी ।

(2) उचित अधिकारी, कुर्की या करस्थम् आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को, स्थावर या जंगम संपत्ति पर विल्लंगम रखने को भेजेगा जो केवल उचित अधिकारी द्वारा उस प्रभाव के लिखित निदेशों पर हटाया जाएगा ।

(3) जहां उपनियम (1) के अधीन कुर्की या करस्थम् के अध्यधीन, कोई संपत्ति--

(क) स्थावर संपत्ति है, कुर्की या करस्थम् आदेश उक्त संपत्ति पर चिपकाया जाएगा और विक्रय की पुष्टि होने तक चिपका रहेगा ।

(ख) कोई जंगम संपत्ति है, वहां उचित अधिकारी उक्त संपत्ति को इस प्रकार अधिनियम के अध्याय 14 के उपबंधों के उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करेगा और उक्त संपत्ति की अभिरक्षा या तो उचित अधिकारी के द्वारा स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ली जाएगी ।

(4) कुर्की या करस्थम् की गई संपत्ति नीलामी के माध्यम से विक्रय की जाएगी, जिसके अन्तर्गत ई-नीलामी भी है, जिसके लिए **प्ररूप जीएसटी डीआरसी 17** में सूचना, विक्रय की जाने वाली संपत्ति को स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए और विक्रय का प्रयोजन देते हुए, जारी किया जाएगा ।

(5) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए, जहां विक्रय की जाने वाली संपत्ति, पराक्रम्य लिखत या किसी निगम में कोई अंश है, वहां उचित अधिकारी इसे लोक नीलामी से विक्रय करने के बजाय ऐसे लिखत या अंश को किसी दलाल के माध्यम से विक्रय कर सकेगा और उक्त दलाल वसूली के अधीन यथा अपेक्षित रकम को उन्मोचन के लिए, उसके कमीशन को घटाकर ऐसे विक्रय के आगम को सरकार को निक्षेप करेगा और अधिशेष रकम, यदि कोई हो, का संदाय ऐसे लिखत या अंश के स्वामी को करेगा ।

(6) उचित अधिकारी, नीलामी में, भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम का संदाय करने में असफल हो जाता है तो उसे समपहृत किया जा सकेगा ।

(7) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिन से पूर्व नहीं होगा ।

परन्तु जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उनको अभिरक्षा में रखने का व्यय उनकी कीमत से अधिक होना संभवनीय है, तो अधिकारी उन्हें तुरंत विक्रय कर सकेगा ।

(8) जहां कोई या आक्षेप किसी संपत्ति की कुर्की या करस्थम् के संबंध में इस आधार पर किया जाता है या उठाया जाता है कि ऐसी संपत्ति ऐसी कुर्की या करस्थम् के लिए दायी नहीं है, वहां उचित अधिकारी ऐसे दावे या आक्षेप का अन्वेषण करेगा और विक्रय को ऐसे समय के लिए, जैसा वह ठीक समझे, मुल्तवी कर सकेगा ।

(9) दावा या आक्षेप करने वाला व्यक्ति साक्ष्य देगा कि उपनियम (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख को कुर्की या करस्थम् के अधीन प्रश्नगत संपत्ति में वह कब्जे में था या उसका कुछ हित था ।

(10) जहां अन्वेषण करने पर उचित अधिकारी का दावा या आक्षेप में कथित कारण से, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति उक्त तारीख को व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी या व्यतिक्रमी के या उक्त तारीख पर व्यतिक्रमी के कब्जे में होने के कारण यह उसके कब्जे में नहीं थी जहां अन्वेषण पर, उचित अधिकारी का दावे या आक्षेप में कथित कारणों से यह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को ऐसी सम्पत्ति, व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के, कब्जे में नहीं थी या वह उक्त तारीख को जो व्यतिक्रमी के कब्जे में थी, वह उसके स्वयं की या उसके स्वामित्वाधीन सम्पत्ति नहीं थी अपितु किसी अन्य व्यक्ति की या उसके न्यास की थी या भागतः उसकी स्वयं की और भागतः किसी अन्य व्यक्ति की थी, वहां उचित अधिकारी, ऐसी सम्पत्ति को, पूर्णतः या ऐसे विस्तार तक, जो वह ठीक समझे, कुर्की या करस्थम् से निर्मोचन का अधिकार देगा ।

(11) जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को संपत्ति व्यतिक्रमी के कब्जे में उसकी अपनी संपत्ति के रूप में थी, न कि किसी अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी पर, या उसके लिए न्यास में किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में था या किसी किरायेदार या किसी अन्य

व्यक्ति जो उसे किराया दे रहा था, के अधिभोग में था उचित अधिकारी दावा नामंजूर करेगा और नीलामी के माध्यम से विक्रय की प्रक्रिया अग्रसर करेगा ।

(12) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को **प्ररूप जीएसटी डीआरसी 11** में सूचना, उससे अपेक्षा करते हुए कि रकम का संदाय ऐसे सूचना की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर करे, जारी करेगा और जब उक्त संदाय हो जाता है तो वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी 12 में संपत्ति के ब्यौरे, अंतरण की तारीख, बोली लगाने वाले के ब्यौरे और संदत्त रकम, विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र जारी होने पर ऐसे बोली लगाने वाले को संपत्ति में अधिकार, हक और हित अंतरित समझे जाएंगे :

परन्तु जहां अधिकतम बोली एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है और उनमें से एक संपत्ति का सहस्वामी है वहां वह सफल बोली लगाने वाला समझा जाएगा।

(13) उपनियम (12) में विनिर्दिष्ट संपत्ति के अंतरण के संबंध में देय कोई रकम, जिसके अंतर्गत स्टाम्प शुल्क, कर या फीस भी है, उस व्यक्ति द्वारा सरकार को संदत्त की जाएगी जिसे ऐसी संपत्ति में हक अंतरित किया जाता है ।

(14) उपनियम (4) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, जहां व्यतिक्रमी वसूली अधीन रकम का संदाय करता है, जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी हैं, वहां उचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया को रद्द करेगा और माल को निर्मोचित करेगा ।

(15) जहां कोई बोलियां प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों की के कारण से गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुनः- नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा ।

148. अधिकारी द्वारा बोली लगाने या क्रय करने का प्रतिषेध--कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत किसी विक्रय के संबंध में किसी कर्तव्य का निर्वहन करता है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, विक्रय संपत्ति में किसी हित का अर्जन या हित अर्जन करने का प्रयास करने के लिए बोली नहीं लगाएगा ।

149. अवकाश-दिन पर विक्रय करने का प्रतिषेध--इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत, रविवार या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य साधारण अवकाश-दिन पर या किसी अन्य दिन, जो सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए जिसमें विक्रय किया जाना है अवकाश-दिन घोषित किया गया है, कोई विक्रय नहीं किया जाएगा ।

150. पुलिस द्वारा सहायता -- उचित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले पुलिस स्टेशन के भारसाधक-अधिकारी से ऐसी सहायता जो उसके कर्तव्यों के निवर्हन के लिए आवश्यक हो, मांग

सकेगा और उक्त भारसाधक अधिकारी ऐसी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात करेगा ।

151. ऋणों और शेयरों आदि की कुर्की -- (1) कोई ऋण जो परक्राम्य लिखत द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है, निगम में शेयर या अन्य जंगम सम्पत्ति जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, सिवाए ऐसी सम्पत्ति के जो निक्षेप की गई है या किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है, **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-16** में लिखित आदेश द्वारा,--

(क) ऋण के मामले में लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उसका संदाय करने से जबतक कि उचित अधिकारी से अतिरिक्त आदेश प्राप्त नहीं किया जाता ;

(ख) शेयर के मामले में व्यक्ति जिसके नाम में शेयर धारित हो, को उसे अंतरित करने से या उस पर कोई लाभांश प्राप्त करने से ;

(ग) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को इसे व्यतिक्रमी को देने से प्रतिषिद्ध करते हुए कुर्क किया जाएगा ।

(2) ऐसे आदेश की एक प्रति उचित अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाया जाएगा, और एक अन्य प्रति ऋण के मामले में, ऋणी को भेजी जाएगी, और शेयरों के मामलों में, निगम के रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी और अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

(3) उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध कोई ऋणी, अपने ऋण की राशि का संदाय उचित अधिकारी को कर सकेगा, और ऐसा संदाय व्यतिक्रमी को संदेय किया गया समझा जाएगा ।

152. न्यायालयों या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में सम्पत्ति की कुर्की – जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां उचित अधिकारी ऐसे न्यायालय या अधिकारी को यह अनुरोध करते हुए कुर्की का आदेश भेजेगा कि, ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेय कोई ब्याज या लाभांश, संदेय राशि की वसूली तक धारित कर लिया जाए ।

153. भागीदारी में हित की कुर्की -- (1) जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति में, व्यतिक्रमी का किसी भागीदारी में एक भागीदार होने पर एक हित सम्मिलित है, वहां उचित अधिकारी प्रमाणपत्र के अधीन, शोध्य राशि के ऐसे संदाय के साथ भागीदारी सम्पत्ति में ऐसे भागीदार के हिस्से और लाभों को प्रभारित करते हुए एक आदेश कर सकेगा और उसी या पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा ऐसे लाभों जो पहले से ही घोषित हों या प्रोद्भूत हुए हैं और ऐसे अन्यधन जो उसे भागीदारी के सम्बन्ध में उस पर शोध्य हो गए हों में ऐसे भागीदार के हिस्से के सम्बन्ध में रिसीवर नियुक्त

कर सकेगा, लेखा और जाँच के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे हित के विक्रय के लिए आदेश कर सकेगा या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षा हो ।

(2) अन्य भागीदारों को किसी भी समय, प्रभारित हित का मोचन करने या विक्रय का निदेश किए जाने की दशा में, उसका क्रय करने की स्वतंत्रता होगी ।

154. माल और जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के आगमों का व्ययन -- किसी व्यतिक्रमी से शोध्य की वसूली के लिए, माल, जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से इस प्रकार प्राप्त की गई रकमें,--

(क) प्रथमतया, वसूली प्रक्रिया पर हुए प्रशासनिक व्यय के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ;

(ख) तत्पश्चात् वसूली की जाने वाली रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ;

(ग) तत्पश्चात् अधिनियम, या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) या किसी राज्य का राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यतिक्रमी से शोध्य किसी अन्य रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ; और

(घ) व्यतिक्रमी को संदत्त किए जाने वाले किसी अधिशेष के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ।

155. भू-राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से वसूली -- जहां किसी रकम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के उपबंधों के अनुसार वसूली की जानी है, वहां उचित अधिकारी जिले के कलक्टर या उपायुक्त को या प्ररुप जीएसटीडी आरसी-18 में इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को एक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र में, विनिर्दिष्ट रकम की सम्बंधित व्यक्ति से वसूली के लिए भेजेगा, जैसे कि यह भू-राजस्व की बकाया रकम थी ।

156. न्यायालय के माध्यम से वसूली -- जहां किसी रकम की ऐसे वसूली की जानी है जैसे कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अधिरोपित जुर्माना हो, वहां उचित अधिकारी धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के उपबन्धों के अनुसार समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष **प्ररूप जीएसटीडी आरसी-19** में सम्बंधित व्यक्ति से तद्धीन विनिर्दिष्ट रकम की वसूली के लिए एक आवेदन करेगा, जैसे कि यह उसके द्वारा अधिरोपित एक जुर्माना हो ।

157. प्रतिभू से वसूली -- जहां कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी पर शोध्य रकम के लिए प्रतिभू बना है, वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जैसे कि वह व्यतिक्रमी हो ।

158. किस्तों में कर और अन्य रकमों का संदाय -- (1) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अधीन शोध्य करों या किसी रकम के संदाय के लिए समयावधि के विस्तार की ईप्सा करते हुए या धारा 80 के उपबंधों के अनुसार किस्तों में ऐसे करों या रकम के संदाय को अनुज्ञात करने के लिए **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-20**, में इलैक्ट्रोनिकली आवेदन फाइल किए जाने पर, आयुक्त, उक्त रकम का संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति की वित्तीय योग्यता के सम्बंध में, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी से रिपोर्ट की माँग करेगा ।

(2) कराधेय व्यक्ति की प्रार्थना और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, आयुक्त कराधेय व्यक्ति को संदाय करने के लिए अतिरिक्त समय और/या रकम का ऐसी मासिक किस्तों में, जो चौबीस से अनधिक हो, जैसा वह उपयुक्त समझे, संदाय अनुज्ञात करते हुए, **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-21** में एक आदेश जारी कर सकेगा ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सुविधा, वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जहां--

(क) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी रकम का संदाय करने का पहले से व्यतिक्रमी है जिसके लिए वसूली प्रक्रिया चालू है ;

(ख) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किस्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है ;

(ग) कोई रकम, जिसके लिए किस्त सुविधा की ईप्सा की गई है, पच्चीस हजार रुपयों से कम है ।

159. सम्पत्ति की अनंतिम कुर्की -- (1) जहां आयुक्त धारा 83 के उपबंधों के अनुसार बैंक खाता सहित, किसी सम्पत्ति की कुर्की करने का विनिश्चय करता है, वहां वह **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-22** में तद्धीन सम्पत्ति जो कुर्की की गई है के विवरणों का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा ।

(2) आयुक्त कुर्की के आदेश की प्रति सम्बंधित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, कि वह उक्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति पर विल्लंगम रखे, जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा ।

(3) जहां कुर्की की गई सम्पत्ति विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की है, और यदि कराधेय व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के समतुल्य रकम का संदाय करता है या ऐसी रकम का संदाय

करता है या ऐसी रकम का संदाय करता है जो कराधेय व्यक्ति पर संदेय है या संदेय बन जाती है, जो भी न्यून हो, तब ऐसी सम्पत्ति, संदाय के सबूत पर, **प्ररुप जीएसटीडी आरसी**-23 में एक आदेश द्वारा तुरंत निर्मुक्त की जाएगी ।

(4) जहां कराधेय व्यक्ति विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में उपनियम (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में विफल रहता है, वहां आयुक्त ऐसी सम्पत्ति का व्ययन कर सकेगा और तद् द्वारा प्राप्त रकम, कर, ब्याज, शस्ति, शुल्क या कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी अन्य रकम के विरुद्ध समायोजित की जाएगी ।

(5) कोई व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति कुर्की की गई है, कुर्की के सात दिवसों के भीतर, उपनियम (1) के अधीन इस प्रभाव की एक आपत्ति फाइल कर सकेगा कि कुर्की की गई सम्पत्ति कुर्की किए जाने के लिए दायी नहीं थी या है, और आयुक्त आपत्ति फाइल करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-23** में एक आदेश द्वारा उक्त सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा ।

(6) आयुक्त इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि सम्पत्ति कुर्की के लिए और अधिक दायी नहीं थी या है, **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-23** में एक आदेश जारी करते हुए ऐसी सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा ।

160. समापनाधीन कंपनी से वसूली -- जहां कंपनी समापनाधीन है जैसा कि धारा 88 में विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां आयुक्त, कर, ब्याज, शास्ति दर्शित करते हुए कोई रकम या अधिनियम के अधीन शोध्य किसी अन्य रकम की वसूली के लिए **प्ररुप जीएसटीडी आरसी-24** में समापक को अधिसूचित करेगा ।

161. कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना -- धारा 84 के अधीन किसी मॉग में कमी या वृद्धि के लिए आदेश **प्ररुप जीएसटीडी आरसी**-25 में जारी किया जाएगा ।

अध्याय 19

अपराध और शास्तियाँ

162. अपराधों के प्रशमन के लिए प्रक्रिया -- (1) कोई आवेदक, या तो अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन **प्ररुप जीएसटीसी पीडी-01 में**, अपराध के प्रशमन के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा ।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, आयुक्त, आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या कोई अन्य सूचना, जो ऐसे आवेदन की परीक्षा के लिए सुसंगत विचार की जा सकेगी, के संदर्भ में सम्बंधित अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेगा ।

(3) आयुक्त, आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर, उक्त आवेदन की अन्तर्वस्तु पर विचार करने के पश्चात् **प्ररुप जीएसटीसीपीडी-02** में आदेश द्वारा या तो इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि आवेदक ने उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और मामले से सम्बन्धित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है, यह प्रशमित रकम इंगित करते हुए आवेदन मंजूर कर सकेगा और उसे अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है या ऐसा आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन आवेदन का विनिश्चय, आवेदक को उस पर सुनवाई का अवसर दिए बिना और ऐसी नमंजूरी के कारणों को अभिलिखित किए बिना नहीं किया जाएगा ।

(5) आवेदन अनुज्ञात नहीं जाएगा जबतक संदाय के लिए दायी कर, ब्याज और शास्ति का मामले में संदाय नहीं कर दिया जाता जिसके लिए आवेदन किया गया है ।

(6) आवेदक उप नियम (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर आयुक्त द्वारा आदेश की गई प्रशमित रकम का संदाय करेगा और उन्हें ऐसे संदाय का सबूत प्रस्तुत करेगा ।

(7) यदि आवेदक उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रशमित रकम का संदाय करने में विफल रहता है, तब उप नियम (3) के अधीन किया गया आदेश दूषित और शून्य हो जाएगा ।

(8) किसी व्यक्ति को उप नियम (3) के अधीन प्रदान की गई उन्मुक्ति, आयुक्त द्वारा किसी समय भी प्रत्याहृत की जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने प्रशमन कार्यवाहियों के अनुक्रम में, कोई तात्विक विशिष्टियाँ छिपायी थी या मिथ्या साक्ष्य दिया था तदुपरि ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, जो कि उसके द्वारा प्रशमन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कारित किया गया प्रतीत होता है और अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जैसे कि ऐसी कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई थी ।

(vi) "प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-01, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-02, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-04, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-05, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-06, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-07 और प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-10" निम्नलिखित के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-01, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-02, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-04, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-05, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-06, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-07, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-10 और प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-11"।"

प्ररूप – जीएसटी-आरएफडी-01

[नियम 89(1) देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन

चयन – रजिस्ट्रीकृत/आकस्मिक/अरजिस्ट्रीकृत/अनिवासी कराधेय व्यक्ति

1. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी:
2. विधिक नाम :
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
4. पता :
5. कर अवधि : <दिन/मास/वर्ष> से <दिन/मास/वर्ष>
6. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम :

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

7. दावा किए गए प्रतिदाय के आधार (नीचे से चयन करें) :

(क) इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अतिरिक्त अतिशेष :

(ख) सेवाओं का निर्यात--कर के संदाय सहित :

(ग) माल/सेवाओं का निर्यात-- कर के संदाय के बिना उदरहणार्थ, संचित इनपुट कर प्रत्यय

(घ) निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण—

(i) आदेश के प्रकार चयन :

निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/ अन्य

(ii) निम्नलिखित ब्यौरों का उल्लेख करें ,--

1. आदेश संख्या ;

2. आदेश की तारीख <कलेंडर>

3. आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी

4. संदाय संदर्भ संख्या (प्रतिदाय के रूप दावे के लिए रकम)

(यदि आदेश सिस्टम के भीतर जारी किया जाता है, तो 2,3,4 स्वतः वासित)

(ङ) विपर्यस्त कर ढांचा के लिए निवेश कर प्रत्यय संचित (धारा 54(3)) के परन्तुक के खंड (ii)

(च) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता या समझे गए निर्यात प्रापक के लिए गए प्रदाय पर—

(प्रदायकर्ता/प्राप्तिकर्ता के प्रकार चयन करें)

1. विशेष आर्थिक जोन इकाई के लिए प्रदाय
2. विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता को प्रदाय
3. माने गएए निर्यात के प्राप्तिकर्ता ।

(छ) विशेष आर्थिक जोन युनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय पर संचित इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय

(ज) प्रदाय पर संदत्त कर जिसे उपबंधित नहीं किया गया है, या तो पूर्णतः या भागतः और जिसके लिए बीजक जारी किया गया है ।

(झ) राज्यांतरिक पर संदत्त कर पर जिसे अन्तराज्यिक और विपर्ययेन धारित किया जाए ।

(ञ) कर की अधिकता संदाय, यदि कोई हो

(ट) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

8. बैंक लेखा के ब्यौरे (रजिस्ट्रीकृत करदाता के मामले में आरसी से स्वतः वासित)

(क) बैंक खाता संख्या :

(ख) बैंक का नाम :

(ग) बैंक खाता प्रकार :

(घ) खाता धारक का नाम :

(ङ) बैंक शाखा का पता :

(च) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) :

(छ) मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकागनाइजेशन (एमआईसीआर) :

9. क्या धारा 54(4) के अधीन आवेदक द्वारा स्व घोषणा फाइल की गई है, यदि लागू हो

हां ☐ नहीं ☐

घोषणा

मैं तदनुसार घोषणा करता हूं कि निर्याततित माल किसी निर्यात शुल्क के लिए कोई विषय नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि माल या सेवाएं दोनों पर कोई प्रतिदाय प्राप्य नहीं है और कि मैने प्रदाय पर संदत्त कर एकीकृत कर जिसकी बाबत प्रतिदाय दावा किया गया है, के प्रतिदाय हेतु दावा नहीं किया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में किए गए दावा निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय दरों पर शून्य के लिए उपयोजित माल या सेवाओं पर प्राप्य किया था या पूर्णतः छूट जो प्रदाय करता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा

मैं/हम...................... (आवेदक) जिसके पास माल या सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आईडी.......... सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करता हूं/करते हैं और प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि कर, ब्याज या उसकी अवधि .... से .... तक के लिए कर, ब्याज, यो कोई अन्य रकम के बारे में .... रुपए के लिए उसकी कोटि प्रतियां की बाबत आवेदन प्रतिदाय में दावा किया गया है, ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी व्यक्ति द्वारा पारित नहीं किया गया है ।

(इस घोषणा का ऐसे आवेदकों द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिन्होंनें धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है) ।

10 सत्यापन

मैं/हम .... (करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इस मद्दे कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान | प्राधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख | (नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

कथन 1:

(उपाबंध-1)

प्रतिदाय प्रकार : विपरीत क्रम कर संरचना के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के परंतुक के खंड (*i i*)]

भाग क: जावक प्रदाय

(जीएसटी आर-1 : सारणी 4 और 5) :

जीएसटीआईएन/यूआईएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भाग क : आवक प्रदाय :

जीएसटी आर-2 : सारणी 3 (मिलाए गए बीजक) :

................कर अवधि

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	क्या इनपुट या इनपुट सेवा/पूंजीमाल (जिसके अंतर्गत प्लांट और मशीने हैं)/आटीसी के लिए अपात्र हैं	उपलब्ध आटीसी की रकम			
	सं0	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16

टिप्पण: डाटा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 से स्वत: भरा जाएगा

कथन 2:

प्रतिदाय का प्रकार :

कर संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(जीएसटीआर-1 : सारणी – 6क और सारणी -9)

1.

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे				एकीकृत कर			बीआरसी/एफआईआरसी		संशोधित मूल्य (एकीकृत कर) (यदि कोई है)	नामेनोट एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	जमापत्र एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	शुद्ध एकीकृत कर =(11/8)+12 -13
	सं0	तारीख	मूल्य	एसएसी	दर	कराधेय कर	रकम	संख्यां	तारीख				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6क. निर्यात													

बीआरसी/ एफआईआरसी के ब्यौरे, आज्ञापक है–सेवाओं के मामले में)

कथन **3:**

परिदाय का प्रकार:

कर के संदाय के बिना निर्यात-संचित आईटीसी

(जीएसटीआईआर-1: सारणी 6क)

1.

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे							पत्तन कोड			एकीकृत कर			इजीएम ब्यौरे		बीआरसी/फआईआरसी	
	सं0	तारीख	मूल्य	माल/सेवा (मा/से)	एचएसएन/एसएसी	यूक्यूसी	परिमाण	संख्यां	तारीख	कोड	दर	कराधेय मूल्य	रकम	संदर्भ सं0	तारीख	सं0	ता0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6क. निर्यात																	

टिप्प्पण-1. पोत परिवहन पत्र और ईजीएम आज्ञापक है — माल के मामले में ।

2. बीआरसी/ एफआईआरसी के ब्यौरे आज्ञापक है — सेवाओं के मामले में।

कथन 4:

विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदाय

प्रतिदाय का प्रकार :

विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के कारण या प्राप्तिकर्ता के समझे गए निर्यात

(जीएसटीआर-1 : सारणी 6ख और सारणी 9)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			पोत परिवहन पत्र /निर्यात पत्र		एकीकृत कर			संशोधित मूल्य (एकीकृत कर) (यदि कोई है)	नामेनोट एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	जमापत्र एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	शुद्ध एकीकृत कर =(10/9)+11-12
	सं0	तारीख	मूल्य	संख्यां	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6ख. विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किया गया प्रदाय												

(जीएसटीआर-1 : सारणी 5 और सारणी 8)

जीएसटीआईएन/यूआईएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	संशोधित मूल्य (एकीकृत कर) (यदि कोई है)	नामेनोट एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	जमापत्र एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	शुद्ध एकीकृत कर =(12/7)+13-14
	सं0	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

कथन 5

समझे गए निर्यात आदि का प्रासिकर्ता

(जीएसटीआर 2: सारणी 3 और सारणी 6)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	क्या इनपुट या इनपुट सेवा/पूंजीमाल (जिसके अंतर्गत प्लांट और मशीने हैं)/आटीसी के लिए अपात्र हैं	उपलब्ध आईटीसी की रकम				संशोधित मूल्य (आईटीसी एकीकृत कर) (यदि कोई है)	नामेनोट आईटीसी एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	जमापत्र आईटीसी एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	शुद्ध आईटीसी एकीकृत कर =(17/7)+18-19
	सं0	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

कथन 6:

प्रतिदाय का प्रकार : अंतःराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जो तत्पश्चात् अंतरराज्यिक प्रदाय के रूप में धारित है और विपर्ययेन

आदेश के ब्यौरे (धारा 77 (1) और (2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई है):

जीएसटी आईएन/ यूआईएन नाम (बी 2 सी के मामले में)	राज्यांतरिक/अन्तरराज्यिक के पूर्व के रूप में विचारणीय अच्छादित संव्यवहार बीजक के ब्यौरे									संव्यवहार जिसके लिए अन्तरराज्यिक/राज्यांतरिक प्रदाय पश्चातवर्ती धारित किए गए थे				
	बीजक के ब्यौरे				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्रास्थिति से भिन्न)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्रास्थिति से भिन्न)
	सं0	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम	रकम	रकम	रकम		रकम	रकम	रकम	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

कथन:7

<u>प्रदाय का प्रकार : कर का अधिक संदाय, यदि कोई टर्मिनल विवरणी फाइल करने की दशा में</u>

<u>(करदाता की दशा में जिसने जीएसटीआर विवरणी फाइल की है - सारणी 12)</u>

क्रम सं.	कर अवधि	विवरणी की संदर्भ सं0	विवरणी फाइल करने की तारीख	संदेय कर			
				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8

उपाबंध-2

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... कर अवधि के लिए..........................माल और सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आईडी, मैसर्स..................................... (आवेदक का नाम) द्वारा ....(शब्दों में) आई एन आर दावे के प्रतिदाय के संबंध में कर और ब्याज का आपतन किसी अन्य व्यक्ति ने पारित नहीं किया है । यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा विशेष रुप से अनुरुक्षित/दिए गए लेखा पुस्तकों और अन्य सुसंगत अभिलेखों और विवरणियों के परीक्षण के आधार पर है ।

चार्टर्ड आकाऊन्टेंट/लागत लेखाकार के हस्ताक्षर :

नाम :

सदस्यता संख्या :

स्थान :

तारीख :

यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (ड.) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय दावा दिया जाना अपेक्षित नहीं है ।

प्ररुप जीएसटी आरएफडी - 02

[नियम 90(1), 90(2) और 95(2) देखें]

अभिस्वीकृति

प्रतिदाय के लिए आपका आवेदन का<आवेदन संदर्भ संख्या > के विरुद्ध अभिस्वीकृत कर लिया गया है।

अभिस्वीकृति संख्या :

अभिस्वीकृति की तारीख:

जी एसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आई डी, यदि लागू हो :

आवेदक का नाम:

प्ररुप सं. :

प्ररुप विवरण:

अधिकारिता (समुचित निशान लगाएं) :

केन्द्रीय राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र :

द्वारा भरा गया

प्रतिदाय आवेदन ब्यौरा	
कर अवधि	
फाइल करने की तारीख और समय	
प्रतिदाय के लिए कारण	

दावाकृत प्रतिदाय की रकम

	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सेवा कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

टिप्पण 1 : आवेदन की प्रास्थिति जीएसटी प्रणाली पोर्टल पर ट्रैक आवेदन प्रास्थिति <प्रतिदाय > के माध्यम से आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करने से देखी जा सकती है ।

टिप्पण 2: यह एक प्रणाली उत्पन्न अभिस्वीकृति है और इसमें हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है ।

प्ररुप जीएसटी आरएफडी- -04

[नियम 91(2) देखें]

मंजूरी आदेश सं. : तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में

___________ (माल और सेवा कर पहचान संख्या

___________ (नाम)

____________ (पता)

अनंतिम प्रतिदाय आदेश

प्रतिदाय आवेदन संदर्भ सं. (ए आर एन)…………तारीख ……… तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

अभिस्वीकृति सं.......................तारीख.................. <दिन /मास /वर्ष >

महोदय /महोदया,

प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में, निम्नलिखित रकम अनंतिम आधार पर आपको स्वीकृत की जाती है :

क्रम सं.	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर	ऐकीकृत कर	उपकर
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम				
(ii)	दावाकृत रकम का 10% प्रतिदाय के रुप में (बाद में स्वीकृत किया जाएगा)				
(iii)	बकाया रकम (i-ii)				
(iv)	स्वीकृत प्रतिदाय की रकम				
	बैंक विवरण				
(v)	आवेदन के अनुसार बैक खाता संख्या				
(vi)	बैंक का नाम				
(vii)	बैक /शाखा का पता				
(viii)	आई एफ एस सी				
(ix)	एम आई सी आर				

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-05

[नियम 91(3), 92(4), 92(5) और 94 देखें]

संदाय परामर्श

संदाय परामर्श सं. तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में, <केन्द्रीय> पीएओ/खजाना/आरबीआई/बैंक

प्रतिदाय स्वीकृति आदेश सं.. ……………

आदेश तारीख……<दिन /मास /वर्ष >……….

जी एस टीआई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी <>

नाम: <>

प्रतिदाय रकम (आदेश के अनुसार) :

विवरण	एकीकृत कर						केन्द्रीय कर						राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						उपकर					
	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल
स्वीकृत शुद्ध प्रतिदाय की रकम																								
लंबित प्रतिदाय पर ब्याज																								
कुल																								
टिप्पण-कर के लिए "टी", ब्याज के लिए "आई", शास्ति के लिए "पी", फीस से लिए "एफ", अन्य के लिए "ओ"																								

	बैंक के ब्यौरे	
(i)	आवेदन के अनुसार बैंक खाता संख्या	
(ii)	बैंक का नाम	
(iii)	बैंक/शाखा का नाम और पता	
(iv)	आईएफएससी	
(v)	एमआईसीआर	

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

सेवा में

....................................(जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आईडी)

...............................(नाम)

....................................(पता)

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06

/नियम 92 (1), *92(3)*, **92(4), 92(5) और 96(7) देखें**/

आदेश सं. तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में,

.... (जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आईडी)

...................................(नाम)

................................(पता)

कारण बताओ नोटिस संख्या (यदि लागू हो)

अभिस्वीकृति संख्या .... तारीख:……<दिन /मास /वर्ष >………

मंजूर किया गया प्रतिदाय/अस्वीकृत आदेश

महोदय/महोदया,

यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में /*प्रतिदाय पर ब्याज*/

<<प्रतिदाय मंजूर करने या नमंजूर करने के कारण, यदि कोई हो>>

आपके आवेदन का परीक्षण करने पर आपको मंजूर प्रतिदाय की रकम बकाया (जहां लागू है) के समायोजन के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित है :-

*जहां लागू न हो उसे काट दें

विवरण	एकीकृत कर						केन्द्रीय कर						राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						उपकर					
	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल
1. दावाकृत प्रतिदाय/ ब्याज* की रकम																								
2. अंनितम आधार पर स्वीकृत प्रतिदाय (आदेश सं0....तारीख) सं0....तारीख)(य																								

दि लागू हो)																								
3. अग्राह्य प्रतिदाय रकम <<कारण नीचे करें>> <अनुज्ञात के लिए बहु कारण>																								
4. संदत्त की जाने वाली सकल रकम (1-2-3)																								
5. विद्यमान विधि या अधिनिय																								

म के अधीन परादेय मांग पर समायोजित रकम (यदि कोई है) मांग आदेश संख्या...., अधिनियम अवधि<संभव बहु पंक्तियां- दी गई पंक्तियां जोड़ें>																								
6. शुद्ध संदत्त रकम																								

टिप्पण-कर के लिए "टी", ब्याज के लिए "आई", शास्ति के लिए "पी", फीस के लिए "एफ", अन्य के लिए "ओ"

*जो लागू *न हो उसे काट दें ।*

&1. मैं, अधिनियम@ की धारा 56 के अधीन /अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मैसर्स............................को आई एन आर............की रकम की मंजूरी देता हूं ।

@जो लागू न हो उसे काट दें।

(क) और रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय किया गया है

(ख) रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्यां 5 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली को समायोजित किया गया है ।

(ग) ....रुपए की रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली को समायोजित किया है और शेष...............रुपए की रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय कर दिया गया है ।

#जो लागू न हो उसे काट दें ।

या

&2 मैं, अधिनियम की धारा (.....) की उपधारा (.....) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि को आई एन आर.....................की रकम जमा करता हूं ।

&3 मैं, अधिनियम की धारा (............) की उपधारा (.....) के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मैसर्स..........................को आई एन आर............की रकम को निरस्त करता हूं ।

& जो लागू न हो उसे काट दें ।

मैं धारा 56 के अधीन आवेदक को प्रतिदाय की रकम की तारीख तक ब्याज के संदाय का आदेश देता हूं ।

तारीख:	हस्ताक्षर (डी एस सी):
स्थान:	नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-07

[नियम 92(1), 92(2), 96(6) देखें]

संदर्भ सं. तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में,

……………… (जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आईडी सं.)

……………………………नाम

…………………………(पता)

अभिस्वीकृति संख्या ……………………… तारीख:……<दिन /मास /वर्ष >………

स्वीकृत प्रतिदाय के पूर्ण समायोजन के लिए आदेश

भाग – क

महोदय/महोदया,

उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भ में और आपको स्वीकृत किए गए प्रतिदाय की रकम के विरुद्ध और दी गई सूचना या फाइल किए गए दस्तावेज बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित कर दिया गया है जो ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित है :-

	प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य /संघ राज्यक्षेत्रकर	उपकर
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम				
(ii)	अनंतिम आधार पर नेट मंजूर प्रतिदाय				
(iii)	अस्वीकृत अग्राह्य प्रतिदाय रकम <<कारण उल्लेख कीजिए >>				
(iv)	प्रतिदाय अनुज्ञेय (i-ii-iii)				
(v)	विद्यमान विधि के अधीन या इस विधि के अधीन बकाया मांग (आदेश सं............के अनुसार) के विरुद्ध समायोजित प्रतिदाय मांग आदेश सं............ तारीख........... <बहु-पंक्तियों में दी जा सकती है>				
(vi)	प्रतिदाय रकम का शेष	शून्य	शून्य		शून्य

मैं, यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन विद्यमान विधि के अधीन बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रुप से समायोजित कर ली जाए । इस आवेदन का निपटारा अधिनियम की धारा (.......) की उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है ।

या

भाग- ख

प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश

यह आपके ऊपर निर्दिष्ट प्रतिदाय आवेदन और मामले में दी गई सूचना/दस्तावेजों के संदर्भ में है । आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम निम्नलिखि कारणों से प्रतिधारित कर दी गई है :

प्रतिदाय आदेश सं. :					
आदेश दारी करने की तारीख:					
	प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य /संघ राज्यक्षेत्रकर	उपकर
i.	मंजूर प्रतिदाय की रकम				
ii.	रोके गए प्रतिदाय की रकम				
iii.	अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम				

प्रतिदाय रोकने के लिए कारण

<<पाठ>>

मैं, यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन उपरोक्त वर्णित कारणों के लिए रोक दी गई । यह आदेश इस अधिनियम की धारा (.......) उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-10

[नियम 95(1) देखें]

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास आदि द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. यूआईएन :

2. नाम :

3. पता :

4. कर अवधि (तिमाही) : दिन /मास /वर्ष से ....तक

   <दिन /मास /वर्ष >

5. दावा प्रतिदाय की रकम <आई एन आर ><शब्दों में>

	रकम
केन्द्रीय कर	
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	
एकीकृत कर	

उपकर	
कुल	

6. बैंक खाते का ब्यौरा:

   (क) बैंक खाता संख्या

   (ख) बैंक खाते का प्रकार

   (ग) बैंक का नाम

   (घ) खाता धारक / संचालक का नाम

   (ङ) बैंक शाखा का पता

   (च) आई एफ एस सी

   (छ) एम आई सी आर

7. संदर्भ संख्या और दिए गए **प्ररुप जीएसटीआर-11** की तारीख

४. सत्यापन

मैं, ...>दुतावास/अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम> का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणी करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नही गया है ।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रुप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं ।

स्थान:

तारीख: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम / प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11

[नियम 96क देंखें]

माल या सेवाओं के निर्यात के लिए दिया गया बंधपत्र या परिवचन पत्र

<table>
<tr><td colspan="3">1. जीएसटीआईएन</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2. नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3. दिए गए दस्तावेज का प्रकार उपदर्शित करें</td><td colspan="2">बंधपत्र ☐ परिवचन पत्र ☐</td></tr>
<tr><td colspan="5">4. दिए गए बंधपत्र का ब्यौरा</td></tr>
<tr><td>क्रम सं0</td><td>बैंक गारंटी की संदर्भ संख्या</td><td>तारीख</td><td>रकम</td><td>बैंक का नाम और शाखा</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

टिप्पण : बैंक गारंटी और बंधपत्र की ठोस प्रति अधिकारिता अधिकारी को दी जाएगी ।

5. घोषणा-

(i) ऊपर उल्लिखित बैंक गारंटी, माल और सेवाओं के निर्यात पर संदेय एकीकृत कर को सुरक्षित करने के लिए जमा की गई हैं

(ii) मैं इसके अवसान से पूर्व बैंक गारंटी के नवीकरण का परिवचन पत्र करता हूं । मेरे/हमारे ऐसा करने में विफल रहने की दशा में, विभाग बैंक से बैंक गारंटी पर संदाय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।

(iii) विभाग, माल या सेवा के निर्यात के संदर्भ में एकीकृत कर संदेय की रकम को आच्छादित करने के लिए हमारे द्वारा दी गई बैंक गारंटी को अवलंब करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति.............

तारीख................

एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए बंधपत्र
(नियम 96क देखें)

मैं/हम.....................इसमें इसके पश्चात् "बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों)" कहा जाएगा, भारत के राष्ट्रपति (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है) के प्रति.....................रू0 ....की रकम का राष्ट्रपति को संदाय करने के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्व आबद्ध हूं/हैं ।

इसका संदाय पूर्णतः और सही रूप में किए जाने के लिए मैं/हम संयुक्त रूप से और पृथकतः स्वयं को/अपने को और अपने हमारे क्रमिक वारिसों/निष्पादकों/प्रशासकों/विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं/करते हैं/तारीख..............को इस पर हस्ताक्षर किए गए ।

उपरोक्त आबद्धकर बाध्यताधारी द्वारा को समय-समय पर एकीकृत कर का संदाय किए बिना भारत के बाहर निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए अनुज्ञप्त किया गया है ;

और बाध्यताधारी धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं का निर्यात करने की वांछा रखता है/रखते हैं ;

और आयुक्त, बाध्यताधारी से राष्ट्रपति के पक्ष में पृष्ठांकित.........................रूपए रकम की बैंक प्रतिभूति देने की अपेक्षा करता है और जबकि बाध्यताधारी ने आयुक्त के पास ऊपर उल्लिखित बैंक प्रत्याभूति जमा करके ऐसी प्रतिभूति दे दी है ।

इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी और उसका प्रतिनिधि, माल या सेवाओं के निर्यात से संबंधित अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करें ;

और यदि सुसंगत और विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं का सम्यक् रूप से निर्यात किया जाता है;

और यदि ऐसे एकीकृत कर और अन्य सभी विधिक प्रभारों के सभी शोध्यों का ब्याज सहित, यदि कोई हो, सम्यक् रूप से, उक्त अधिकारी द्वारा लिखित में की गई उसकी मांग की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संदाय कर दिया गया है तो यह बाध्यता शून्य हो जाएगी ;

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के पालन का भंग या असफल होने के आधार पर उसका पूर्ण बल और आधार होगा ;

और राष्ट्रपति, अपने विकल्प पर, बैंक प्रत्याभूति की रकम से या ऊपर लिखित बंधपत्र के अधीन अपने अधिकारों का पृष्ठांकन करके या दोनों से सभी हानि और नुकसानों को पूरा करवाने के लिए सक्षम होंगे ।

मैं/हम यह और घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह बंधपत्र, किसी ऐसे कृत्य के अनुपालन के लिए, जिसमें जनता हितबद्ध है, सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है ;

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) द्वारा इसमें इसके पूर्व लिखित तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) का (के) हस्ताक्षर
तारीख :
स्थान :

साक्षी
(1) नाम और पता व्यवसाय
(2) नाम और पता व्यवसाय

मैं आज, ...तारीख.....................(मास) ....(वर्ष) को .... (पदनाम) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूं ।

एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए परिवचनपत्र
(नियम 96क देखें)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है), उचित अधिकारी के माध्यम से कार्य करते हुए

मैं/हम..................... निवासी ....(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का पता), जिसका/जिनका माल और सेवा कर पहचान सं0 .... है, इसमें इसके पश्चात् परिवचनकर्ता कहा जाएगा, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से स्वयं को/अपने को, मेरे/हमारे वारिसों, निष्पादकों/प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तियों सहित राष्ट्रपति के प्रति,--

(क) नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर एकीकृत कर का संदाय किए बिना माल और सेवाओं का निर्यात करने ;

(ख) माल या सेवाओं के निर्यात से संबंधित माल और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करने ;

(ग) माल या सेवाओं के निर्यात करने में असफल होने पर एकीकृत कर का, बीजक की तारीख से संदाय की तारीख तक का ऐसे ब्याज सहित संदाय करने के लिए, जो संदत्त न किए गए कर की रकम पर अठारह प्रतिशत वर्षिक रकम के बराबर होगी,

आज तारीख .... को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह परिवचन ऐसी अधिनियमितियों के जिनमें जनताहितबद्ध है, अनुपालन के लिए उचित अधिकारी के आदेश के अधीन दिया जाता है ।

इसके साक्ष्य स्वरूप परिवचनकर्ता (परिवचनकर्ताओं) द्वारा इसमें इसके पूर्व तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

परिवचनकर्ता (परिवचनकर्ताओं) का (के) हस्ताक्षर
तारीख :
स्थान :

साक्षी
(1) नाम और पता व्यवसाय

(2) नाम और पता व्यवसाय

मैं आज, ...तारीख.....................(मास) ....(वर्ष) को .... (पदनाम) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूं ।

प्ररुप जीएसटी आईएनएस - 01

निरीक्षण और तलाशी के लिए प्राधिकरण

(नियम 139(1) देखें)

सेवा में,

………………………………………….

………………………………………..

(अधिकारी का नाम और पदनाम)

चूंकि, मेरे समक्ष सूचना प्रस्तुत की गई है और मुझे विश्वास करने का कारण है कि…………………………….

अ. मैसर्स………………………………………………………….

- माल और /या सेवाओं के प्रदाय से संबंधित संव्यवहारों को छिपाया गया है
- हस्तगत माल के स्टाक से संबंधित संव्यवहारों को छिपाया गया है
- अधिनियम के अधीन अपने हकदारी के अतिरिक्त निवेश कर प्रत्यय का दावा किया है
- अधिनियम के अधीन अपने हकदारी के अतिरिक्त प्रतिदाय का दावा किया है
- इस अधिनियम के अधीन कर का अपवंचन, उसके अधीन बनाये गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में अनुग्रह किया है ;

या

आ. **मैसर्स**………………………………………………………

- माल के संदाय से बच निकलने के लिए माल परिवहन के कारबार में वचनबद्ध किया है
- कर के संदाय से बचने के लिए भांडागार या गोदाम या स्थान के स्वामी या प्रचालक द्वारा जहां माल का भंडार किया गया है
- इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन करने के लिए उस रीति में लेखा या माल को रखा गया है

या

इ

- अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत जब्ती योग्य माल/ दस्तावेजों को कारबार/ आवासीय परिसर में गुप्त रखा गया है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है

<<परिसरों का ब्यौरे>>

इसलिए.—

- मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको प्राधिकृत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बनाये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत माल या दस्तावेजों और/ या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें ।

या

- मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको प्राधिकृत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बनाये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत माल या दस्तावेजों और/या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें और यदि कुछ पाया जाता है, तो इसके अधीन आगे की कार्यवाही के लिए उसे जब्त करके उसे प्रस्तुत करें ।

किसी व्यक्ति द्वारा भुलावा देने का, साक्ष्य को बिगाड़ने का, निरीक्षण/ तलाशी की प्रक्रिया के दौरान सुसंगत प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करने का कोई भी प्रयत्न, भारतीय दण्ड संहिता की दारा 179, 181, 191 और 418 सपठित अधिनियम के अधीन कारावास और/ या जुर्माना के साथ दण्डनीय होगा ।

दिन................मास..............................20......वर्ष में मेरा हस्ताक्षर और मुद्रा। ....दिनों के लिए वैध ।

मुद्रा

स्थान जारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

निरीक्षण करने वाले अधिकारी/अधिकारियों का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

(□)

(□□)

प्ररुप जीएसटी आईएनएस - 02

अभिग्रहण का आदेश

(नियम 139(2) देखें)

जबकि मेरे द्वारा, धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण/उपधारा (2) के अधीन तलाशी, तारीख .... /................./..................पूर्वान्ह/अपरान्ह को निम्नलिखित परिसर/परिसरों में संचालित किया गया

<<**परिसरों का ब्यौरे**>>

जिसका स्थान/कारबार का स्थान/परिसर है/हैं

<<व्यक्ति का नाम>>

<< जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत हो >>

निम्नलिखित साक्षी/साक्षियों की उपस्थिति में :

1. **<< नाम और पता>>**
2. **<< नाम और पता>>**

और निरीक्षण/तलाशी के दौरान पाये गये लेखाबही, रजिस्टर, दस्तावेज/कागज और माल की संवीक्षा करना, मुझे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के लिए या से सुसंगत जब्ती योग्य माल और/या दस्तावेज और/या पुस्तकें और/या उपयोगी वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित स्थान (स्थानों) में गुप्त रखे गये हैं ।

इसलिए मैं धारा 67 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित माल/पुस्तक/दस्तावेज और वस्तुओं को एतत् द्वारा अभिग्रहित करता हूं :

अ) <u>अभिग्रहीत माल के ब्यौरे</u> :

क्र.सं.	माल का वर्णन	मात्रा या ईकाई	मेक/चिन्ह या मॉडल	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

आ) <u>अभिग्रहीत की गई पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं के ब्यौरे</u> :

क्र. सं.	अभिग्रहीत की गई पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं का वर्णन	अभिग्रहीत की गई पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4

और ये माल और चीजें संभाल कर सुरक्षित रखने के लिए है ;

<<नाम और पता>>

इस निर्देश के साथ कि वह समनुदेशिती की पूर्व अनुमति के बिना माल या वस्तुओं, उसके भाग या उसके साथ अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा ।

स्थान: अधिकारी का नाम और पदनाम

दिनांक:

साक्षियों का हस्ताक्षर

क्र. सं.	नाम और पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		

सेवा में:

<<नाम और पता>>

प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03

प्रतिषेध का आदेश

*(*नियम 139(4) देखें*)*

जबकि मेरे द्वारा धारा 67 की उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण/उप-धारा (2) के अधीन तलाशी, तारीख................../................./............... : ....पूर्वान्ह/अपरान्ह को निम्नलिखित परिसर/परिसरों में संचालित किया गया :

<<परिसरों के ब्यौरे>>

जिसका स्थान/कारबार का स्थान/परिसर है/हैं :

1. <<**व्यक्ति का नाम**>>
2. <<**जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत हो**>>

निम्नलिखित साक्षी/साक्षियों की उपस्थिति में :

1. **<<नाम और पता>>**
2. **<<नाम और पता >>**

और निरीक्षण/तलाशी के दौरान पाये गये लेखाबही, रजिस्टर, दस्तावेज/कागज और माल की संवीक्षा करना, मुझे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के लिए या से सुसंगत जब्ती योग्य माल/और या दस्तावेज और/या पुस्तकें और/या उपयोगी वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित स्थान (स्थानों) में गुप्त रखे गये हैं ।

इसलिए मैं धारा 67 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतत् द्वारा आदेश करता हूं कि आप समनुदेशिती की पूर्व अनुमति के बिना माल, उसके भाग या उसके साथ अन्यथा व्यवहार नहीं करेंगे/करायेंगे :

क्र. सं.	माल का विवरण	मात्रा और ईकाई	मेक/चिन्ह और मॉडल	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

स्थान:

अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:

साक्षियों के हस्ताक्षर

	नाम और पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		

सेवा में:

<<नाम और पता>>

प्ररूप जीएसटी आईएनएस – 04

(नियम 140(1) देखें)

अभिगृहीत माल के निर्मुक्त के लिए बंधपत्र

मैं...................... के तत्पश्चात् "बाध्यताधारी" कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया है) और/................ (राज्यपाल) (इसमें आगे "राज्यपाल" कहा गया है) के लिए धारित और दृढ़ आबद्ध हूं, रुपए .... की राशि राष्ट्रपति/राज्यपाल हेत संदत्त के लिए जिसे संदाय किया जाएगा । मैं संयुक्त रूप से और पृथकतः रूप से स्वयं आबद्ध हूं और मेरे वारिस/निष्पादकों/विधिक प्रतिनिधित्व और इन वर्तमान द्वारा समनुदेशित किया गया है ।

यतः धारा 67 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, आदेश सं० .... तारीख .... द्वारा अभिगृहीत किया गया है, ... रुपए के कर की रकम अन्तर्वलित करते हुए मूल्य......... के रुपए में है । अनुरोध पर माल .... मूल्य के बंधपत्र और प्रति .... रुपए की प्रतिभूति बंधपत्र के निष्पादन पर समुचित अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्मुक्त किए जाने के लिए अनुज्ञात की गई है जिसे नकदी/बैंक गारंटी, राष्ट्रपति/राज्यपाल के पक्ष में प्रस्तुत किया गया है ।

यतः मैं स्वयं के लिए अनंतिम रूप से निर्मुक्त उक्त माल उत्पन्न करने के लिए परिवचन पत्र करता हूं और जब अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सम्यक् समुचित अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो ।

और यदि समुचित प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्ण प्रभारित मांग द्वारा सभी करें, ब्याज, शास्ति, जुर्माना उक्त समुचित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में किया जाएगा, यह बाध्यता शून्य होगी ;

अन्यथा, इस दशा में किसी भाग के निष्पादन में भंग या असफल होने पर पूर्णतः बल होगा ।

और राष्ट्रपति/राज्यपाल, इसके विकल्प में सभी हानियां और उपर्युक्त लिखित बंधपत्र या दोनों के अधीन इसके पृष्ठांकन द्वारा या प्रतिभूति निक्षेप की रकम से नुकसानी ठीक करने के लिए सक्ष म होगा ।

बाध्यताधारी (यों) द्वारा लिखित के समक्ष के समय हस्ताक्षरित किए गए हैं ।

तारीख : बाध्यताधारी (यों) के हस्ताक्षर (रों)

स्थान :

साक्षी :-

(1) नाम और पता :

(2) नाम और पता :

तारीख :

स्थान :

आज तारीख .... (मास) ....वर्ष .... को (समुचित प्राधिकारी का पदनाम) राष्ट्रपति/राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से स्वीकार करता हूं ।

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप जीएसटी आईएनएस-05

विकारी या संकटमय के माल/वस्तुएं के निर्मुक्त का आदेश

(नियम 141(1) देखें)

निम्नलिखित परिसर (परिसरों) से .... को निम्नलिखित माल और/या चीजें अभिग्रहीत किए गए थे :

«परिसर के ब्यौरे»

जो स्थान/कारबार के स्थान/ संबंधित परिसरों के लिए :

«व्यक्ति का नाम »
«जीएसटी आईएन रजिस्ट्रीकृत»

<u>अभिग्रहीत माल के ब्यौरे</u>

क्रम संख्या	माल का वर्णन	मात्रा या यूनिटें	मेक/चिन्ह या टिप्पण	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

और चूंकि ये माल, विकारी या परिसंकटमय प्रकृति के हैं और चूंकि रकम .... रुपए (शब्दों और अंकीय में रकम) रकम समतुल्य होते हुए के लिए –

 ऐसे माल या चीजों की बाजार कीमत

 कर, ब्याज और शास्ति की रकम जोकि या संदेय हो जाता है, संदत्त किया गया है । मैं तदनुसार उपरोक्त उल्लिखित माल अविल निर्मुक्त किया जाए ।

स्थान: अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:

सेवा में,

«नाम और पदनाम»

प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 01

[नियम 142(1) देखें]

संदर्भ सं0..........   तारीख ....

सेवा में

..................जीएसटीआईएन/आईडी
नाम...................................
पता ....

...............कर अवधि .... वित्तीय वर्ष.....................अधिनियम

धारा/उपधारा जिसके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की गई है

एससीएन संदर्भ सं0   तारीख ....

कारण बताओ सूचना का संक्षिप्त विवरण

(क) मामले को संक्षिप्त तथ्य

(ख) आधार

(ग) कर और अन्य शोध्य

(रुपए में रकम)

क्रम सं0	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	कर/उपकर	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
योग						

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 02

(नियम 142(1) देखें)

संदर्भ संख्या ....   तारीख ....

..................जीएसटीआईएन/आईडी
नाम...................................
पता ....
एससीएन ....   तारीख ....
कथन/संदर्भ सं0 ....   तारीख ....
धारा/उपधारा जिसके अधीन कथन जारी किया जा रहा है ।

कथन का संक्षिप्त में

कथन संक्षेप में

(क) मामले का संक्षिप्त तथ्य

(ख) आधार

(ग) कर और अन्य शोध्य

(रुपए में रकम)

क्रम सं0	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	कर/उपकर	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
योग						

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 03

[नियम 142(2) और 142(3) देखें]

स्वैच्छिक रूप से किया गया संदाय की सूचना या किया गया कराण बताओ नोटिस (एससीएन) के प्रति या कथन

1.	जीएसटीआईएन		
2.	नाम		
3.	संदाय के हेतुक	<<नीचे करे>> लेखा परीक्षा, अन्वेंषण, स्वैच्छिक/एससीएन, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
4.	वह धारा जिसके अधीन स्वैच्छिक संदाय किया गया है ।	<<नीचे करे>>	
5.	कारण बताओ नोटिस के ब्यौरे, यदि इसके जारी के 30 दिन के भीतर संदाय किया गया है ।	संदर्भ संख्या	जारी की तारीख
6.	वित्तीय वर्ष		
7.	ब्याज और शास्ति सहित किए गए संदाय के ब्यौरे (रकम रुपए में)		

क्रम सं0	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (पीओएस)	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि प्रयोज्य	योग	उपयोग किए गए खाते	विकलन प्रविष्टि सं0	विकलन प्रविष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8. कारण, यदि कोई हो - <<पाठ खाना>>

9. सत्यापन -

मैं तदनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि यहां ऊपर नीचे दी गई सूचना सर्वोत्तम जानकारी सत्य और सही है और कोई बात छिपाया नही गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

नाम.......................

पदनाम/प्रास्थिति ....

तारीख ....,.............

प्ररूप जीएसटी डीआरसी – 04

[नियम 142(2) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में,

________________ जीएसटीआईएन/आईडी

----------------------- नाम

________________ पता

कर अवधि ------------- वितीय वर्ष ----------

एआरएन - तारीख -

स्वेच्छाया किए गए संदाय की स्वीकृति की अभिस्वीकृति

उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन द्वारा आपके द्वारा किए गए संदाय की, संदत्त की गई रकम के विस्तार तक और उसमें कथित कारणों के लिए अभिस्वीकृति की जाती है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति -

प्ररूप जीएसटी डीआरसी – 05

[नियम 142(3) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में,

________________ जीएसटीआईएन/आईडी

---------------------- नाम

________________ पता

कर अवधि -------------	वित्तीय वर्ष ----------
एससीएन	तारीख -
एआरएन -	तारीख -

कार्यवाहियों के निष्कर्ष की सूचना

यह उपरोक्त कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है । जैसा कि आपने.............धारा के उपबंधों के अनुसरण में लागू ब्याज और शास्ति के साथ सूचना में उल्लिखित कर की रकम और अन्य बकाया संदत्त कर दिया है, उक्त सूचना द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती हैं ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति -

प्ररूप जीएसटी डीआरसी – 06

[नियम 142(4) देखें]

कारण बताओ सूचना का प्रतिउत्तर

1. जीएसटीआईएन		
2. नाम		
3. कारण बताओ सूचना के ब्यौरे	संदर्भ सं.	जारी करने की तारीख
4. वित्तीय वर्ष		
5. प्रतिउत्तर		
<< टेक्स्ट बॉक्स>>		
6. अपलोड किया गया दस्तावेज		
<<दस्तावेजों की सूची >>		
7. वैयक्तिक सुनवाई के लिए विकल्प	□ हां	□ नहीं

8. सत्यापन -

मैं सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम_________

पदनाम/प्रास्थिति-------

तारीख –

प्ररूप जीएसटी डीआरसी – 07

[नियम 142(5) देखें]

आदेश का सार

1. आदेश के ब्यौरे –

(क) आदेश सं. (ख) आदेश की तारीख (ग) कर अवधि -

2. अन्तवर्लित विवाद्यक–<<नीचे देखें>>

वर्गीकरण, मूल्यांकन, कर की दर, व्यापारावर्त का अधिक्रमण, आईटीसी दावे का आधिक्य, मुक्त किए गए प्रतिदाय का आधिक्य, पूर्ति का स्थान, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

3. मालों/सेवाओं का विवरण --

क्र. सं.	एचएसएन	विवरण

4. मांग के ब्यौरे

(रकम रुपयों में)

क्र. सं.	कर की दर	व्यापारावर्त	पूर्ति का स्थान	कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

5. जमा की गई रकम

क्र. स.	कर की अवधि	कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

प्रति -

प्ररूप जीएसटी डीआरसी – 08

[नियम 142(7) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख :

आदेश का परिशोधन

उद्देशिका - << मानक >> (केवल आदेश के लिए लागू)

मूल आदेश की विशिष्टियां			
कर की अवधि, यदि कोई हो			
धारा, जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है			
आदेश सं.		जारी करने की तारीख	
उपबंध निर्धारण आदेश सं., यदि कोई हो		आदेश की तारीख	
एआरएन, यदि परिशोधन के लिए लागू हो		एआरएन की तारीख	

.............उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश के परिशोधन के लिए आपका आवेदन संतोषप्रद पाया गया है;
.............यह मेरे ज्ञान में आया है कि उपरोक्त आदेश के परिशोधन की आवश्यकता है;
परिशोधन का कारण -

<< पाठ बाक्स >>

मांग के ब्यौरे, परिशोधन के पश्चात्, यदि कोई हो

(रकम रुपयों में.)

क्र.स.	कर की दर	व्यापार आवर्त	प्रदाय का स्थान	कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

उपरोक्त आदेश, धारा 161 के अधीन निर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोग में नीचे यथा उल्लिखित परिशोधित किया जाता है:

<< पाठ>>

सेवा में,

_______________ (जीएसटीआईएन/आईडी)

-------------------------नाम

_______________ (पता)

प्रति -

प्ररूप जीएसटी डीआरसी – 09

[नियम 143 देखें]

सेवा में,

____

व्यतिक्रमी के ब्यौरे -
जीएसटीआईएन –
नाम -
मांग आदेश सं.: तारीख:
वसूली की संदर्भ सं:
अवधि: तारीख:

विनिर्दिष्ट अधिकारी के माध्यम से धारा 79 के अधीन वसूली के लिए आदेश

जहां कर, उपकर, ब्याज और शास्ति के लेखे <<-------->> रुपये की राशि <<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सेस>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपरोक्त व्यक्ति, जो ऐसी रकम का संदाय करने में विफल हो चुका है, द्वारा संदेय है । बकाया के ब्यौरे नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं:

(रकम रुपयों में)

कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6
एकीकृत कर					
केन्द्रीय कर					
राज्य/संघ					

राज्यक्षेत्र कर					
उपकर					
कुल					

<< टिप्पणियां>>

आपसे, <<एसजीएसटी>> एसीटीटीओ की धारा 79 के उपबंधों के अधीन उपरोक्त लिखित << व्यक्ति >> से बकाया रकम वसूल करना अपेक्षित है ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 10

(नियम 144(2) देखें)

अधिनियम की धारा 79 (1)(ख) के अधीन माल के नीलामी की सूचना

मांग आदेश संख्याः तारीखः

अवधिः

मेरे द्वारा ---- रुपए और उस पर ब्याज की वसूली के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुर्क किए गए या करस्थम किए गए माल के विक्रय के लिए आदेश किया गया है और जो धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में वसूली प्रक्रिया पर उपगत व्यय ग्राह्य है ।

विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा और माल अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाट में विक्रय के लिए रखा जाएगा । विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार, शीर्षक और हितों के लिए किया जाएगा और उक्त संपत्तियों के लिए संलग्न दायित्व और दावे, जिस प्रकार उन्हें सुनिश्चित किया गया है, प्रत्येक लाट के सामने अनुसूची में उन्हें विनिर्दिष्ट किया गया है ।

नीलामी........ पर .... प्रातः/सांय को आयोजित की जाएगी। नीलामी के तारीख से पूर्व देय संम्पूर्ण रकम के संदत्त हो जाने पर विक्रय रोक दिया जाएगा ।

प्रत्येक लाट की कीमत विक्रय के समय या समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशों के अनुसार संदत्त की जाएगी और संदाय के व्यतिक्रम में माल को पुनः नीलामी और पुनः विक्रय के लिए रखा जाएगा ।

अनुसूची

क्र.सं.	माल का विवरण	मात्रा
1	2	3

हस्ताक्षर...............
नाम
पद नाम

स्थानः
तारीखः

प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 11

(नियम 144(5) और 147(12) देखें)

सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले के लिए सूचना

सेवा में,

कृपया लोक नीलामी निर्देश संख्या .... तारीख................का निर्देश लें । .... को आयोजित नीलामी के आधार पर, तत्काल मामले में आप सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले पाए गए है।

आपसे एतद द्वारा नीलामी के तारीख से 15 दिन अवधि के भीतर .... रुपए का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है ।

आपको माल का कब्जा बोली की रकम के पूर्णरुप से संदाय करने के पश्चात आपको अंतरित किया जाएगा।

हस्ताक्षर...............

नाम

पद नाम

स्थानः

तारीखः

प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 12

(नियम 144(5) और 147(12) देखें)

विक्रय प्रमाण पत्र

मांग आदेश संख्याः

वसूली की संदर्भ संख्याः तारीखः

अवधिः

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित मालः

अनुसूची (जंगम माल)

क्र.सं.	माल का विवरण	मात्रा
1	2	3

अनुसूची (स्थावर माल)

भवन सं./फ्लैट सं.	फ्लोर सं.	स्थान/ भवन का नाम	सड़क/गली	अवस्थान / ग्राम	जिला	राज्य	पिनकोड	अक्षान्तर (विकल्प)	देशांन्तर (विकल्प)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुसूची (शेयर)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	मात्रा	कीमत
1	2	3	4

<<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सीईएसएस>> अधिनियम की धारा 79 (1) (ख) (घ) के उपबंधों और ....उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में .... रुपए की वसूली के लिए माल की लोक नीलामी में ....पर .... के लिए विक्रय किया गया है और उक्त .... (क्रेता) ने विक्रय के समय उक्त माल के क्रेता होने के घोषणा कर दी है। उक्त माल की विक्रय कीमत .... को प्राप्त हुई थी । विक्रय .... को सुनिश्चित किया गया था ।

हस्ताक्षर...............

नाम

पद नाम

स्थानः

तारीखः

प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 13

(नियम 145(1) देखें)

धारा 79(1)(ग) के अधीन तीसरे व्यक्ति के लिए सूचना

सेवा में,

....

व्यतिक्रमी की विशिष्टियां ....

जीएसटीआईएन.......

नाम.........

मांग आदेश संख्याः   तारीखः

वसूली की संदर्भ संख्याः   तारीख :

अवधि :

कर, उपकर, ब्याज और शास्ति की रकम पर <<.........>> रुपए की रकम <जीएसटीआईएन >> धारण करने वाले <<कराधेय व्यक्ति का नाम>> जो ऐसी रकम का संदाय करने में विफल हो गया है, के द्वारा<<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सीईएसएस>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय योग्य है; और/या

यह प्रेक्षित है कि आपसे उक्त कराधेय व्यक्ति के लिए..........रुपए की रकम देय है या देय हो सकती है; या

यह प्रेक्षित है कि उक्त व्यक्ति के लिए या उस पर ......रुपए की रकम आपके पास है या आपके पास होने की संभावना है।

आपको अधिनियम की धारा 79 की उपधारा(1) के खंड (ग) (i) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुपालन में देय के होने या हो सकने वाले धन पर या ......सरकार के लिए ....रुपए की रकम का संदाय करने के लिए निदेश दिया जाता है ।

कृपया नोट करे कि इस सूचना के अनुपालन में आपके द्वारा कोई संदाय उक्त कराधेय व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन किए जाने के प्रति उक्त अधिनियम की धारा 79 के अधीन समझा जाएगा और **प्ररुप जीएसटी डीआरसी-14** में सरकार से प्रमाण पत्र आपके दायित्व का प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार के लिए ऐसे व्यक्ति के प्रति उत्तम और पर्याप्त रुप से निर्वहन किया जाएगा ।

कृपया यह भी नोट करे कि यदि इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात उक्त कराधेय व्यक्ति के लिए किसी दायित्व का आपने निर्वहन किया है, आप कर, उपकर ब्याज और शास्ति जो भी कम हो, के लिए कराधेय व्यक्ति के दायित्व के विस्तार के लिए या निर्वहन किए जाने वाले दायित्व के विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 79 के अधीन राज्य/केन्द्रीय सरकार के लिए व्यक्ति रुप से दायी होंगे।

कृपया नोट करे कि इस सूचना के अनुसरण में संदाय करने में आप विफल होते है, आपको इस सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम के परिणामस्वरुप पालन किया जाएगा ।

हस्ताक्षर...............
नाम
पद नाम

स्थानः
तारीखः

प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 14

(नियम 145(2) देखें)

तीसरे व्यक्ति के लिए संदाय का प्रमाण पत्र

प्ररुप जीएसटी डीआरसी-13 में आपको जारी सूचना के प्रतिउत्तर में बोली लगाने वाली निर्देश संख्या....... तारीख.......... को आपको नीचे दिए गए व्यतिक्रमी के नाम के लिए ....रुपए का संदाय करने के लिए आपको दायित्व का निर्वहन करनाः

जीएसटीआईएन---

नाम--

मांग आदेश संख्याः तारीखः

वसूली की संर्दभ संख्याः तारीख :

अवधि

यह प्रमाण पत्र आपके दायित्व का प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार के प्रति ऊपर उल्लिखित व्यतिक्रमी हेतु पर्याप्त रुप निर्वहन किया जाएगा।

हस्ताक्षर...............

नाम

पद नाम

स्थानः

तारीखः

प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 15

(नियम 146 देखें)

डिक्री के लिए निष्पादन का अनुरोध करने के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष आवेदन

सेवा में,

..........न्यायालय का मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश

....

मांग आदेश संख्याः तारीखः अवधि

महोदय/महोदया,

आपको यह सूचित किया जाता है कि 20.............की............ वाद संख्या में ....(व्यतिक्रमी का नाम) के द्वारा 20................की तारीख को आपके न्यायालय में अभिप्राप्त डिक्री के अनुसार उक्त व्यक्ति के प्रति.............रुपए का संदेय किया जाना है । तथापि, उक्त व्यक्ति आदेश संख्या .... तारीख .... द्वारा <<एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी/ सीजीएसटी/ आईजीएसटी/ सीईएसएस>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन..........रुपए की रकम का संदाय करने के लिए दायी है ।

आपसे डिक्री का निष्पादन करने और ऊपर यथाउल्लिखित बकाया वसूल योग्य रकम का निपटान करने के लिए शुद्ध आगम प्रत्यय के लिए अनुरोध किया जाता है।

स्थानः

तारीखः

समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 16

{नियम 147(1) और 151(1) देखें}

सेवा में

जीएसटीआईएन--------------------

नाम-----------------

पता------------------

मांग आदेश सं0------------------------ तारीख :

वसूली की संदर्भ सं0 तारीख :

अवधि :

धारा 79 के अधीन स्थावर/जंगम मालों/शेयरों की कुर्की और विक्रय हेतु सूचना ।

<<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/उपकर>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन आपके द्वारा संदेय कर/उपकर/ब्याज/शास्ति/फीस के बकाया.................रू0 की रकम का संदाय करने में आप असफल रहे है ।

इसलिए नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित स्थावर मालों को कुर्क किया जाता है और उक्त रकम की वसूली के लिये विक्रय किया जायेगा । अतः आपको किसी भी प्रकार से उक्त माल का अन्तरण करने या उस पर प्रभास सृजित करने से प्रतिषेध किया जाता है और आपके द्वारा किया गया कोई अन्तरण या सृजित प्रभार अवैध होगा ।

अनूसूची (जंगम)

क्र.सं.	मालों का वर्णन	परिमाण
1	2	3

अनूसूची (स्थावर)

भवन सं./फ्लैट सं.	तल सं.	परिसर/भवन का नाम	सड़क/मार्ग	परिक्षेत्र/ग्राम	जिला	राज्य	दिन कोड	अक्षांश (वैकल्पिक)	देशांतर (वैकल्पिक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनूसूची (शेयर)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	परिमाण
1	2	3

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थानः

तारीखः

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 17

{नियम 147(4) देखें}

धारा 79(1) (घ) के अधीन स्थावर/जंगम सम्पति की नीलामी हेतू सूचना ।

मांग आदेश सं0. तारीख :
वसूली की संदर्भ सं0 तारीख :
अवधि :

धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में -------------------रू0 और उस पर ब्याज तथा वसूली प्रक्रिया में उपगत ग्राह्य व्यय की वसूली के लिए नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कुर्क किये गये या करस्थम किये गये मालों की विक्रय हेतु मेरे द्वारा एक आदेश किया गया है ।

विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जायेगा और माल को अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाट में विक्रय के लिए रखा जायेगा । विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार, अभिनाम और हितों का होगा और उक्त संपति से उपाबद्ध दायित्च और दावें, जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया गया है, वे होगें जिन्हें प्रत्येक लाट के समक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

मुल्तवी किये जाने के किसी आदेश की अनुपस्थिति में नीलामी--------- पूर्वाह्न/अपराह्न (बजे)------ (तारीख) को होगी । सूचना के जारी होने से पहले जहाँ बकाया सपूर्ण रकम संदत्त कर दी गई है कि दशा में, नीलामी रद्द कर दी जायेगी ।

प्रत्येक लाट की कीमत समूचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशो के अनुसार विक्रय के समय संदत्त की जायेगी और संदाय के व्यतिक्रम में, माल को दोबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा तथा पुनः विक्रय किया जायेगा ।

अनूसूची (जंगम)

क्र.सं.	मालों का वर्णन	परिमाण
1	2	3

अनूसूची (स्थावर)

भवन सं./फ्लैट सं.	तल सं.	परिसर/भवन का नाम	सड़क/मार्ग	परिक्षेत्र/ग्राम	जिला	राज्य	दिन कोड	अक्षांश (वैकल्पिक)	देशांतर (वैकल्पिक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनूसूची (शेयर)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	परिमाण
1	2	3

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थानः

तारीखः

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 18

{नियम 155 देखें}

सेवा में

जिला कलक्टर का नाम और पता

....

मांग आदेश सं0. तारीख :

वसूली की संदर्भ सं0 तारीख :

अवधि :

धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन नीलामी प्रमाण पत्र ।

मैं...प्रमाणित करता हूँ कि अधिनियम <<एसजीएलटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/उपकर>> के अधीन जीएसटीआईएन................धारित मैसर्स......................से...........................रू0 की ऐसी राशि की मांग की गई है जो उसके द्वारा संदेय है, लेकिन संदत्त नहीं की गई है और अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति से उक्त व्यतिक्रमी से वसूल नहीं की जा सकती है ।

<< मांग विवरण >>

उक्त जीएसटीआईएन धारक आपकी अधिकारिता में संपत्ति का स्वामित्व रखता है/निवास करता है/ कारबार करता है, जिसकी विशिष्टयाँ नीचे दी गई है-

<<वर्णन >>

आप से निवेदन है कि उक्त व्यतिक्रमी से.................रूपये की राशि को इस प्रकार से वसूल करने जैसे कि यह भूमि राजस्व का कोई बकाया हो के लिए शीध्र कदम उठायें ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थानः

तारीखः

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 19

[नियम 156 देखें]

सेवा में,
मजिस्ट्रेट

<<न्यायालय का नाम और पता >>

मांग आदेश सं0. तारीख :

वसूली की संदर्भ सं0 तारीख :

अवधि :

जुर्मानें के रूप में वसूली के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन ।

.............रू0 की कोई राशि अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर ब्याज और शास्ति के कारण <<जीएसटीआईएन>> धारित <<कराधेय व्यक्ति का नाम>> से वसूली योग्य है । आपसे निवेदन है कि कृपया अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसरण में इस रकम को इस प्रकार से वसूल करें जैसे कि यह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना हो ।

रकम का विवरण				
वर्णन	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर/उपकर				
ब्याज				
शास्ति				
फीस				
अन्य				
योग				

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

स्थानः
तारीखः

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 20

{नियम 158(1) देखें}

आस्थगित संदाय/किश्तों में संदाय के लिए आवेदन

1. कराधेय व्यक्ति का नाम______________
2. जीएसटीआईएन______________
3. अवधि ______________

अधिनियम की धारा 80 के अनुसरण में, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे कर/अन्य बकायों के संदाय के लिए.......................तक के समय का विस्तार अनुज्ञात करें या मुझें ऐसे कर/अन्य बकायों को नीचे दिये गये कारणों से..........................किश्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात करें--

मांग आईडी				
वर्णन	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर/उपकर				
ब्याज				
शास्ति				
फीस				
अन्य				
योग				

कारण : -

अपलोड किये गये
`

सत्यापन

मैं प्रतिज्ञान करता हूँ/घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास से सत्य और सही है तथा इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्रधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर____________________

नाम____________________

स्थान____________________

प्ररूप जीएसटी डीआरसी–21

[नियम 158(2) देखे]

संदर्भ सं० <<--->> << तारीख >>

सेवा में,

जीएसटीआईएन ------------

नाम -------------

पता ------------

मांग आदेश सं० तारीख:

वसूली का संदर्भ संख्या : तारीख:

अवधि -

आवेदन संदर्भ सं० (एआरएन) - तारीख:

आस्थिति संदाय/किस्तों में संदाय के लिए आवेदन के स्वीकार/अस्वीकार के लिए आदेश

यह, अधिनियम की धारा 80 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन के संदर्भ में है आस्थिति संदाय/कर के संदाय/ किस्तों में अन्य देय के लिए आपके आवेदन का परीक्षण कर लिया गया है और इस संबंध में, आपको तारीख........द्वारा कर और अन्य देय संदाय करने की अनुज्ञा दी जाती है या इस संबंध में आपको..........रुपए...........मासिक किस्तों में कर और अन्य देय संदाय करने की अनुज्ञा दी जाती है ।

या

यह, अधिनियम की धारा 80 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन के संदर्भ में है । आस्थिति संदाय/ कर के संदाय/ किस्तों में अन्य देय के लिए आपके आवेदन का परीक्षण कर लिया गया है और इसको निम्नलिखित कारणों के लिए आपके अनुरोध को मान लेना बिलकूल भी संभव नहीं है ;

अस्वीकार के लिए कारण

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी–22

[*नियम 159(1) देखें*]

संदर्भ सं०: तारीख:

सेवा में,

----------------------- नाम

_______________ पता

(बैंक/ डाक खाना/वित्तीय संस्थान/अचल संपति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण)

धारा 83 के अधीन संपति की अंनतिम कुर्की

आपको यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स ……………………. (नाम) कारबार का मूल स्थान ------------------(पता) रजिस्ट्रीकरण संख्या के रूप में-------------- (जीएसटीआईएन/आई), पी.ए.एन.------ <<एसजीएसटी/सीजीएसटी>> अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति है । उक्त व्यक्ति से कर या कोई अन्य रकम का अवधारण उक्त अधिनियम की धारा << --->> के अधीन पूर्वोक्त कराधेय व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई है । विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मेरी नोटिस में यह आया है कि उक्त व्यक्ति का -

<<बचत/ चालू / एफ डी/ आर डी / निक्षेप >>खाता आपके<< बैंक/डाक खात/ वित्तीय संस्थान>> में खाता संख्या << खाता सं०>>;

या

<< संपति आई डी और अवस्थान>> पर संपति स्थिति है ।

राजस्व के हितों का संरक्षण करने के लिए और अधिनियम की धारा 83 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं -------------- (नाम), ----------- (पदनाम), पूर्वोक्त खाता/ संपति की अंनतिम कुर्की करता हूं ।

कोई विकलन इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना उसी पेन पर पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा संचालित उक्त खाता या कोई अन्य खाता से अनुज्ञात नहीं करने दिया जाएगा ।

या

उपरोक्त उल्लिखित संपति इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना निपरान करने को अनुज्ञात नही किया जाएगा ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति :–

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 23

[नियम 159(3), 159(5) और 159(6) देखे]

संदर्भ संख्या :-- तारीख:

सेवा में,

----------------------- नाम

________________ पता

(बैंक/ डाक खाता/वितीय संस्थान/अचल संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण)

आदेश संदर्भ संख्या :-- तारीख

धारा 83 के अधीन अनंतिम रूप से कुर्क संपति तारीख बैंक खाता का प्रत्यावर्तन

कृपया, व्यक्ति के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाहियोंमें राजस्व के हित की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश द्वारा कुर्क <<बचत / चालू / एफ डी/आर डी>> खाता संख्या आपके << बैंक /डाक खाना /वित्तीय संस्थान>> में खाता संख्या <<------- >>, की कुर्की का संदर्भ ले । अब, ऐसी कोई कार्यवाहियां व्यक्तिक्रम व्यक्ति के विरुद्ध लंबित नहीं है जिसका उक्त खाता की कुर्की का वारंट था । अतः इसलिए, उक्त खाता अब संबंद्ध व्यक्ति का प्रत्यावर्तन किया जा सकता है ।

या

कृपया, व्यक्ति के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाहियों में राजस्व के हित की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश द्वारा कुर्क << आई डी /अवस्थान>> संपति की कुर्की का संदर्भ ले । अब, ऐसी कोई कार्यवाहियां व्यतिक्रम व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है जिसका अक्त संपति की कुर्की का वारंट था । अतः इसलिए उक्त संपति अब संबद्ध व्यक्ति का प्रव्यवितन किया जा सकता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति : --

प्ररूप जीएसटी डीआरसी – 24

[नियम 160 देखे]

सेवा में,

समापक/प्रापक,

कराधेय व्यक्ति का नाम

जीएसटीआईएन:

मांग आदेश संख्या: तारीख: अवधि:

रकम की वसूली के लिए समापक को सूचित करना

यह आपके पत्र <<सूचना संख्या और तारीख>> के संदर्भ में, <<कम्पनी का नाम>> <<जीएसटीआईएन >> रखने वाले के लिए समापक के रूप में आपकी नियुक्ति की सूचना दी जा रही है । इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त कम्पनी राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित राशि देनदार/संभावनीय देनदार है;

चालू/ प्रत्याशित मांग

(**रुपयों में राशि**)

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य देना	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय कर					
राज्य / यूटी कर					
एकीकृत कर					
उपकर					

अधिनियम की धारा 88 के उपबंधों के अनुपालन में आपको यह निदेशित किया जाता है कि कम्पनी के अंतिम परिसमापन से पहले चालू और प्रत्याशित दायित्वों के उन्मोचन के लिए प्रयात्प उपबंध बनाए ।

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 25

[नियम 161 देखे]

संदर्भ सं० << --- >> << तारीख >>

सेवा में,

जीएसटीआईएन -------------

नाम ---------------

पता --------------

मांग आदेश सं०: तारीख:

वसूली का संदर्भ संख्या : तारीख:

अवधि:

अपील या पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही में संदर्भ संख्या………… तारीख:…….

वसूली कार्यवाहियों का चालू रहना

…………………..रुपए के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट वसूली संदर्भ संख्या द्वारा आपके विरुद्ध वसूली कार्यवाहियों को शुरू करने के संदर्भ में है ।

अपील /पुनरीक्षण प्राधिकारी/ न्यायालय ………………… << प्राधिकरण का नाम / न्यायालय>>आदेश सं०……………तारीख…..……….द्वारा उपरोक्त उल्लिखित मांग आदेश सं० ---------- तारीख---------- द्वारा समावेश देय को बढ़ा देगा / कम कर देगा और अब देय ……….रुपए रह गई है । अपील या पुनरीक्षण के निपटान से तत्काल पहले खड़ी उन वसूली कार्यवाहियों पर प्रक्रम से बढ़ी हुई वसूली/कम हुई वसूली की------रुपए की राशि निरन्तर बनी हुइ है । अपील/पुनरीक्षण प्रभाव देने के पश्चात् मांग की पुनरीक्षित रकम नीचे दी गई है :--

वित्तीय वर्ष …………………………

(रकम रुपए में)

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य देय	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय कर					
राज्य/यूटी कर					
एकीकृत कर					
उपकर					

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी सीपीडी – 01

[नियम 162(1) देखे]

शमनीय अपराध के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन / अस्थायी आईडी	
2.	आवेदक का नाम	
3.	पता	
4.	अधिनियम के उपबंधों को उल्लंघन जिसके लिए अभियोग संस्थित या अन्ध्यात किया जाता है ।	
5.	न्यायनिर्णय आदेश/नोटिस का ब्यौरा	
	संदर्भ संख्या	
	तारीख	
	कर	
	ब्याज	
	शास्ति	
	जुर्माना, यदि कोई हो	
6.	मामले का संक्षिप्त तथ्य और भारित अपराध (अपराधों की विशिष्टियां)	
7.	क्या यह अधिनियम के अधीन पहला अपराध हैं	
8.	यदि सं०7 का उत्तर नकारात्मक है तो पिछले मामले का ब्यौरा	
9.	क्या उसी या कोई अन्य अपराध के लिए कोई कार्यवाहियां किसी अन्य विधि के अधीन अन्ध्यात है ।	

10.	यदि सं० 9 का उत्तर सकारात्मक है तो उसका ब्यौरा	

घोषणा

(1) मैं, आयुक्त द्वारा यथानियत प्रशमन रकम संदाय करुगा ।

(2) मैं, समझता हूं कि मैं अधिकार की दृष्टि से दावा नहीं करूगा अधिनियम के अधीन मेरे द्वारा कारित उस अपराध का शमन किया जाएगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

प्ररूप जीएसटी सीपीडी-02

(नियम 162(3) देखें-)

सदंर्भ सं०: तारीख:

सेवा में,

जीएसटीआईएन/आईडी--------

नाम-----------

पता --------------

एआरएन ------- तारीख –

शमनीय अपराध के अस्वीकार/मोक के लिए आदेश

यह उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन के संदर्भ में है । आपका आवेदन का विभाग में परीक्षण कर लिया गया है और निष्कर्ष नीचे अभिलेख किया गया है :--

<<पाठ >>

मैं, सन्तुष्ट हूं कि आप स्तभ (3) में दार्यित प्रशमन रकम संदाय पर नीचे दी गई तालिका के स्तर 2 में कथित अपराधों के संबंध में शमनीय अपराध को अनुज्ञात करने की अपेक्षाओं को पूरा करते हो ।

क्रम सं०	**अपराध**	**प्रशमन रकम (रुपए)**
(1)	(2)	(3)

टिप्पण: यदि कराधेय व्यक्ति द्वारा किया गया उपधारा स्तभ *(2)* में विनिर्दिष्ट एक से अधिक प्रवर्ग में आता है तो शमनीय रकम स्तभ *(3)* में विनिर्दिष्ट ऐसी रकम होगी जो ऐसे प्रवर्ग के सामने विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम है, जिनमें शमन किए जाने के लिए ईप्सीत अपराधों को वर्गीकृत किया जा सकता है ।

आपको निर्देशित किया जाता है तारीख --------- द्वारा पूर्वोक्त शमनीय रकम संदाय कर दे और शमनीय रकम के संदाय पर, आप पूर्वोक्त तालिका के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अभियोजन से उन्मुक्त कर दिया जाएगा ।

या

☐ आपको आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

[फा० सं० 349/58/2017-जीएसटी (पीटी)]

(डा० श्रीपार्वती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 को सा.का.नि.सं० 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं० 663(अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 10/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।